प्रेजीकृत/ई-मेल

उत्तराखण्ड
पर्यटन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

पं० दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन,
निकट ओ०एन०जी०सी० हैलीपैड, गढ़ीकैन्ट, देहरादून।
फोन–0135–2559898, फैक्स–0135–2559988

संख्या:– / /2–2–208–2016–19 देहरादून:दिनांक 18 जुलाई, 2019

समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:– **उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के अन्तर्गत मासिक प्रगति एवं अन्य कार्यवाही सम्पादित किये जाने सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–877, 878, दिनांक–22.06.2016 का संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त पत्र द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के अन्तर्गत विभाग की अधिसूचित सेवाओं के कियान्वयन एवं सेवा का अधिकार आयोग द्वारा मासिक प्रगति हेतु निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

सेवा का अधिकार के अन्तर्गत वर्तमान में विभाग की अधिसूचित सेवाओं के सम्बन्ध में दिनांक–02.07.2019 को आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार महोदय द्वारा समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में विभागीय अधिसूचित सेवाओं के सम्बन्ध में हुये विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही करते हुये अनुपालन से आयोग को अवगत कराने के निर्देश पारित किये गये हैं। दिये गये निर्देशानुसार जनपद स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

1–उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पत्र संख्या–764/16–15(04)/2015, दिनांक–24.10.2016 (छायाप्रति प्रारूप सहित संलग्न) में पारित निर्देशों के कम में प्रत्येक माह पदाभिहित अधिकारी के स्तर से निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रगति की सूचना प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक प्रथम अपीलीय अधिकारी/जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है।

2–अतिथि, उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त आवेदकों के नाम, स्थान का पूर्ण पता तथा कमरे के किराये हेतु निर्धारित दरों का विवरण विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने सहित ही योजना के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त आवेदकों को होटल/भवन में विभाग द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट व खान–पान हेतु निर्धारित दरों के सम्बन्ध में भी सूचना होटल/भवन के मुख्य भाग/स्वागत कक्ष में चस्पा की जानी हैं।

3– वर्तमान में सेवा का अधिकार के अन्तर्गत अधिसूचित विभागीय 03 सेवाओं के अतिरिक्त यदि अन्य कोई सेवा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित की जानी हो तो इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव निदेशालय को यथाशीघ्र उपलब्ध की जाये, ताकि तद्नुसार निदेशालय स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
कार्यालयाध्यक्ष।

पृ०प०सं० 1220 (1)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, कार्यालय 39/1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून के पंत्राक संख्या–680 दिनांक–09.07.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त अधिकारी, पर्यटन मुख्यालय, देहरादून।
6. समस्त अनुभाग प्रभारी, पर्यटन मुख्यालय, देहरादून।
7. विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
8. आदेश पंजिका।

18/07

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
कार्यालयाध्यक्ष।